भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 16
उत्तर देने की तारीख 18 नवंबर, 2019
सोमवार, 27 कार्तिक, 1941 (शक)

असम में कौशल विकास योजनाएं

16. श्री अब्दुल खालेकः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत चार वर्षों के दौरान असम में शुरू और कार्यान्वित की गई कौशल विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न एजेंसियों के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम राज्य में ऐसी ऐजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करता है। असम राज्य में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें हैं- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण स्कीम (एनईआर) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20)। क्षमता निर्माण स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास, नियोजनीयता और क्षमताओं में वृद्धि करना तथा स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए निधियां प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत एनएसक्यूएफ के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण भागीदारों को भुगतान समान मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 11.11.2019 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 8603 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से असम राज्य में 1395 को प्रशिक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत असम राज्य सहित देश के भावी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (नवीन अल्पावधि प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)) प्रदान किया जा रहा है। इस स्कीम के दो घटक हैं अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक और राज्यों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक। सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई (2016-20) के अंतर्गत स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए असम राज्य कौशल विकास मिशन नोडल एजेंसी है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत अब तक 69,03,671 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 1,89,722 असम राज्य के हैं। असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मासिक यात्रा भत्ता और तैनाती पश्चात सहायता देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण केंद्रों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशिक्षण लागत का भुगतान किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर भारत के अन्य हिस्सों में 20 प्रतिशत आवासीय प्रशिक्षण सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतम 50 प्रतिशत उम्मीदवारों के लिए आवासीय प्रशिक्षण की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

****